केन्द्रीय जल आयोग
CENTRAL WATER COMMISSION

अनुस्मारक

सं0 ई–11012/12/2009/हिन्दी/
भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय
केंद्रीय जल आयोग
हिन्दी अनुभाग

713, सेवा भवन,
आर के पुरम, नई दिल्ली
दिनांक 20 जून, 2012

विषय :–सरकारी कामकाज मूलरूप से हिन्दी में करने के लिए टिप्पण–आलेखन नकद पुरस्कार योजना वर्ष 2011–2012 के दौरान हिन्दी में किए गए कार्य का विवरण एवं 2012–2013 में भाग लेने के लिए नामांकन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संबंधित समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 मार्च, 2012 (सुलभ संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें। इस संबंध में भाग लेने के लिए अभी तक किसी भी अधिकारी/कर्मचारी ने अपना नाम नहीं भेजा है।

अतः पुनः सूचित किया जाता है कि इस योजना में भाग लेने के लिए 27 जुलाई, 2012 तक अपना नाम भेज दें। इसके पश्चात प्राप्त नामों पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

भवदीय

(शेर सिंह)
उप निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष : 011 26716029

सेवा में,

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के सभी अधिकारी/अनुभाग/निदेशालय।

सं0:ई–11012/12/09–हिन्दी
भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

713, सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम,
नई दिल्ली–110066.
दिनांक: 13 मार्च, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए टिप्पण/आलेखन नकद पुरस्कार योजना वर्ष 2011–2012 के दौरान हिन्दी में किए गए कार्य का विवरण एवं 2012–2013 में भाग लेने के लिए नामांकन भेजने के संबंध में।

संघ की राजभाषा नीति एवं सरकारी कामकाज में राजभाष हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोग (मुख्यालय) में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों (समूह–घ को छोड़कर) के लिए राजभाषा विभाग की टिप्पण–आलेखन योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान सर्वाधिक सरकारी कार्य हिन्दी में करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए जाते है। आयोग में यह योजना 2012–2013 के लिए भी लागू की गई है। इस योजना की अवधि 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक होगी। उपर्युक्त योजना का विवरण इस प्रकार है:–

(क) पात्रता : वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जो वर्ष के दौरान 20,000 शब्द मूल रूप से हिन्दी में लिखते हैं, इस योजना में भाग ले सकते हैं।

(ख) पुरस्कार : प्रथम पुरस्कार : (2) **1000/–रूपए**
द्वितीय पुरस्कार : (3) **600/–रूपए**
तृतीय पुरस्कार : (5) **300/–रूपए**

(ग) विशेष : हिन्दीतर भाषी प्रतियोगियों को अर्थात् जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगला, उड़िया और असमी है, उन्हें 20 प्रतिशत अंकों का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

(घ) अवधि : वित्तीय वर्ष अर्थात **एक अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक**

2. जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने वर्ष 2011–2012 की टिप्पण–आलेखन प्रतियोगिता में भाग लिया है, वे हिन्दी में किए गए काम का ब्यौरा 27 अप्रैल, 2012 तक हिन्दी अनुभाग को भेज दे और जो अधिकारी/कर्मचारी 1 अप्रैल, 12 से 31 मार्च, 13 की योजना में भाग लेने के इच्छुक हैं वे भी संलग्न नामांकन प्रपत्र में अपने नाम सहायक निदेशक(राजभाषा) हिन्दी अनुभाग को 27 अप्रैल, 2012 तक भेज दे।

संलग्नक: प्रतिपृष्ठ

(शेर सिंह)
उप निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष : 26716029

सेवा में,

1. केन्द्रीय जल आयोग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी ।
2. उपर्युक्त योजना में भाग ले रहें सभी अधिकारी एवं कर्मचारी ।

–कृपया अगले पृष्ठ पर–